राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / ए–266 / 2018 / दिनांकः–

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 5586 / 2017 आशा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2017 की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक ई– / म0स्वा0कार्य0 / (सीधी भर्ती–2013) / 2017 / 1469 दिनांक 26.10.2017 द्वारा याचिकाकर्ता / अभ्यर्थियां को उसके आवेदित वर्ग अनुसूचित जाति में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर चयनित किया जाकर पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर के अधीन किया गया है।

माननीय न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 24179 / 2017 द्वारा श्रीमती आशा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.01.2018 की पालना में श्रीमती आशा को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की दिनांक 05.01.2016 को जारी चयन सूची में अभ्यर्थियों की अंतिम कार्यग्रहण तिथि 29.01.2016 से उसकी काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि मानते हुए वर्तमान में पद पर वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का काल्पनिक आनुषंगिक लाभ देय होगा।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / ए–266 / 2018 / 3055 दिनांकः– 22/10/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

Desktop\ANM\ANM order 2018